| Date of order or proceeding | Order or proceeding with signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|
| 18/10/22 | परिवादी द्वारा श्री एच एस ठाकुर अधिवक्ता उपस्थित।<br>अभियुक्त चंद्ररानी सहित श्री विजय पटैरिया उपस्थित।<br>प्रकरण आवेदन पर विचार हेतु नियत है।<br>श्री विजय पटैरिया अधिवक्ता ने मेमो सहित आरोपी चंद्ररानी पति कुंजीलाल अहिरवार सहित उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिए जाने बाबत् दिनांक 17.10.2022 को पेश किया था, एवं एक अन्य आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 जा0फौ0 का पेश किया था उक्त आवेदन आज सुनवाई में लिया जा रहा है।<br>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत दिनांक 28.11.2022 को नियत है तथा आज अभियुक्त स्वयं को आत्मसमर्पित कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रही है इस कारण शीघ्र सुनवाई का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण सुनवाई में लिया जाता है।<br>अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री विजय पटैरिया द्वारा की गई इस कारण अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित है। अतः अभियुक्त चंद्ररानी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।<br>इसी स्तर पर श्री विजय पटैरिया अधिवक्ता ने आरोपी को जमानत पर रिहा किये जाने बावत अंतर्गत धारा 437 जा0फौ0 का आवेदन मय शीघ्र सुनवाई आवेदन सहित पेश किया। प्रतिलिपि एडीपीओ को प्रदाय की गई। उनके द्वारा उक्त आवेदन का कोई जबाव न देना व्यक्त किया।<br>उभय पक्ष को सुना गया।<br>आरोपी/आवेदक की ओर से निवेदन किया गया है कि उसके न्यायालय में अनुपस्थित होने से उसके विरूद्व गिरफतारी वारंट जारी हो गया था, यह कि आवेदक/अभियुक्त लंबे समय से बीमार थी चलने फिरने में असमर्थ होने से मजबूरीवश माननीय न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी पर उपस्थित नही हो सकी थी। आरोपी अब प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगी एवं उक्त प्रकरण के विचारण में सहयोग करेगी। अभियुक्त ग्राम रजवांस थाना रहली की स्थायी निवासी जहां उसकी चल अचल संपत्ति मौजूद है अतः जमानत के बाद उसके भागने की संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त अपनी सक्षम जमानत प्रस्तुत करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा आदेश कि प्रत्येक शर्त का पालने करने के लिए भी तैयार है। अतः अभियुक्त का गिरफतारी वारंट निरस्त कर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।<br>प्रकरण का अवलोकन किया गया।<br>प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक | चं0रा0 |

# ORDER-SHEET

THE COURT _____

_____ of 2021

| Date of order or proceeding | Order or proceeding with signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|
| | 15.06.2022 अभियुक्त चंद्रानी के अनुपस्थित हो जाने के कारण उसके जमानत मुचलके निरस्त कर गिरफतारी वारंट तलब किये जाने का आदेश दिया गया। अभियुक्त आज अपने अधिवक्ता सहित स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई है। अभियुक्त इस न्यायालय से पूर्व में जमानत पर रही है। प्रकरण पूर्व में अंतरिम 20 प्रतिशत राशि दिलाए जाने बाबत आवेदन के जबाव के स्तर में नियत था। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में अभियुक्त 15.06.2022 से उपस्थित नहीं हो रही है और उसके विरूद्व गिरफतारी वारंट जारी किया जा रहा है। परन्तु आज अभियुक्त न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित है तथा उसके विरूद्व अधिरोपित धारा का अपराध जमानती प्रकृति का है। एवं उसके द्वारा उल्लेखित कारण सदभाविक प्रतीत होते है। परन्तु पूर्व में भी अभियुक्त के विरूद्व उसके अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा गिरफतारी वारंट जारी किया गया था जिसके बाद उसके द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा न्यायालय द्वारा शर्त लगाकर उसे जमानत का लाभ दिया गया था परन्तु उसके बाद अभियुक्त न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रही एवं न्यायालय द्वारा उसके विरूद्व गिरफतारी वारंट जारी किया गया। चूंकि अभियुक्त एक महिला है एवं उसके विरूद्व अधिरोपित अपराध जमानती प्रकृति का है इस कारण इस बार उसके मुचलके राशि में से कोई राशि जप्त नहीं की जा रही है परन्तु यदि अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्व गिरफतारी वारंट जारी किया जाता है तो अवश्य ही विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।<br>अतः उक्त आधार पर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 437 इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्त/आवेदक की ओर से यदि 15,000/–रूपए ( **पन्द्रह हजार रुपये**) की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका नियमित उपस्थिति बाबत पेश किया जाता है तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे।<br>प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति के फलस्वरूप प्रकरण पूर्ववत 20 प्रतिशत राशि दिलाए जाने बाबत आवेदन के जबाव नियत किया | |

| Date of order or proceeding | Order or proceeding with signature of Presiding Officer | Signature of Parties or ... where n... |
|---|---|---|
| | जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध जारी गि० वा० अक्त वापिस किया जावे<br>प्रकरण पूर्ववत दिनांक 28.11.2022 को पेश हो।<br><br>प्राची श्रीवास्तव<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी<br>रहली जिला सागर (म.प्र.)<br><br>**पुनश्च–**<br><br>अभियुक्त चंद्ररानी की ओर से जमानतदार गोवर्धन पिता वैशाखी, निवासी – धनगुंआ ने 15,000/- –रूपये की जमानत भू अधिकार ऋण पुस्तिका क्र0 231906 द्वारा पेश की एवं इतनी ही राशि का अभियुक्त की ओर से बंधपत्र प्रस्तुत किया गया। जमानतदार की पहचान अधि0 श्री विजय पटैरिया द्वारा की गयी।<br>जमानत सक्षम होने से बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।<br>प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति के फलस्वरूप प्रकरण पूर्ववत 20 प्रतिशत राशि दिलाए जाने बाबत आवेदन के जबाव नियत किया जाता है।<br>प्रकरण पूर्ववत दिनांक 28.11.2022 को पेश हो।<br><br>प्राची श्रीवास्तव<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी<br>रहली जिला सागर (म.प्र.) | |